उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(A U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

UPRVUNL

पत्रांक 37 / उनिलि / रिफार्म / विनियम / 2013 दिनांक 31.05.2013

कार्यालय ज्ञाप

इस तथ्य के दृष्टिगत कि "दि यू0पी0 इलेक्ट्रिसिटी रिफार्म एक्ट–1999" सपठित "दि यू0पी0 इलेक्ट्रिसिटी 2000" के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को प्रदेश में बृहद ताप विद्युत गृहों के निर्माण एवं संचालन का दायित्व सोपा गया है, निगम में यथा प्रयोज्य "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970" तथा "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् सहायक अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली–1970" के प्राविधानों को "दि इंण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स–1956 (यथा संशोधित)" व "दि व्आयलर ऑपरेशन इन्जीनियर्स रूल्स–2011" के सुसंगत प्राविधानों के समनुरूपित करने की दृष्टि से ऊपर वर्णित विनियमावलियों को निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(अ) "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् अभियन्ता सेवा विनियमावली–1970" के विनियम–5 के स्तम्भ–1 में उल्लिखित प्राविधानों को स्तम्भ–2 में उल्लिखित प्राविधानों से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

वर्तमान प्राविधान	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित निये प्राविधान
स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विनियम–5 (भर्ती का स्रोत) (1) सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग–अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होंगे उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :–	विनियम–5 (भर्ती का स्रोत) (1) सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग–अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होंगे उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :–
(क) प्रशिक्षित अभियन्ताओं में से सीधी भर्ती हेतु ———— 50.33 प्रतिशत।	(क) यथावत्
(ख)) अवर अभियन्ताओं से प्रोन्नति द्वारा चयन वर्ग के सदस्यों से परिशिष्ट "ग" में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु —— 40 प्रतिशत।	(ख) स्थायी एवं अर्ह अवर अभियन्ताओं से प्रोन्नति द्वारा परिशिष्ट "ग" में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु —— 40 प्रतिशत।
(ग) स्थायी एवं अर्ह संगणकों (चयन वर्ग) (विद्युत एवं यांत्रिक) से परिशिष्ट "ग" में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु ——— 1.33 प्रतिशत।	(ग) स्थायी एवं अर्ह संगणकों (विद्युत एवं यांत्रिक) से परिशिष्ट "ग" में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु ——— 1.33 प्रतिशत।
(घ) डिग्रीधारी अवर अभियन्ता/संगणक से प्रोन्नति हेतु ऐसे अवर अभियन्ता/संगणकों जो बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त हो तथा जिन्होंने चयन वर्ष में प्रथम दिवस (प्रथम जुलाई) को अवर अभियन्ता/संगणक पद पर 10 वर्षों की सेवा पूरी की ली हो ——— 8.33 प्रतिशत।	(घ) ऐसे अवर अभियन्ताओं/संगणकों में से पदोन्नति हेतु जो पद पर स्थायी हों एवं जिन्होंने निगमादेश सं0 88/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम /08/ अभियन्ता सेवा दिनांक अक्टूबर 01, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त कर ली

	हो तथा अवर अभियन्ता पद पर नियमित सेवा के 03 वर्ष पूरे कर लिये हों – 8.33 प्रतिशत।
प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त (घ) के विरूद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या अवर अभियन्ताओं व संगणकों में से बांटी जायेगी जो उपरोक्त (ख) एवं (ग) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी।	प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त (घ) के विरूद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या अवर अभियन्ताओं व संगणकों में से बाटी जायेगी जो उपरोक्त (ग) एवं (घ) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी। परन्तु यदि उपरोक्त (ग) एवं (घ) के विरूद्ध उल्लिखित अर्हता रखने वाला कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो यह पद भी (ख) में उल्लिखित स्रोत से भरे जायेंगे :– परन्तु यह और कि यदि कोटा के अनुसार उक्त किसी भी स्रोत से भरे जाने वाली रिक्तियों की संख्या भिन्न में हो तो भिन्न के आधे से कम को छोड़ दिया जायेगा और भिन्न के आधे या उससे अधिक को सामान्यतया सम्पूर्ण एक के रूप में गिना जायेगा।

(ब) "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् सहायक अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली–1970" के विनियम–5 के स्तम्भ–1 में उल्लिखित प्राविधानों को स्तम्भ–2 में उल्लिखित प्राविधानों से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

वर्तमान प्राविधान	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित निये प्राविधान
स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विनियम–5 (भर्ती का स्रोत) (1) सेवा में भर्ती, किसी भी वर्ष में निम्न प्रकार से की जायेगी :–	विनियम–5 (भर्ती का स्रोत) (1) सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग–अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होंगे उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :–
(i) परिशिष्ट "क" में वर्णित नियम व रीति के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ———— 50.33 प्रतिशत।	(i) यथावत्
(ii) परिशिष्ट 'ख' में वर्णित नियम व रीति के अनुसार अवर अभियन्ता (सिविल) पदोन्नति द्वारा— 40 प्रतिशत।	(ii) यथावत्
(iii) परिशिष्ट 'ख' में वर्णित नियम व रीति के अनुसार स्थायी व अर्हता प्राप्त संगणकों (प्रवरण श्रेणी) (सिविल) से पदोन्नति द्वारा—— 1.33 प्रतिशत।	(iii) परिशिष्ट 'ख' में वर्णित नियम व रीति के अनुसार स्थायी व अर्हता प्राप्त संगणकों (सिविल) से पदोन्नति द्वारा—— 1.33 प्रतिशत।
(iv) डिग्रीधारी अवर अभियन्ता/संगणक से प्रोन्नति हेतु ऐसे अवर अभियन्ताओं/संगणकों जो बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त हों तथा जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस (प्रथम जुलाई) को अवर	(iv) ऐसे अवर अभियन्ताओं/संगणकों में से पदोन्नति हेतु जो पद पर स्थायी हों एवं जिन्होंने निगमादेश सं0 89/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम/08/ सहायक अभियन्ता (सिविल) दिनांक

अभियन्ता/संगणक पद पर 10 वर्षों की अर्ह सेवा पूरी कर ली हो--------8.33 प्रतिशत।	अक्टूबर 01, 2008 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त कर ली हो तथा अवर अभियन्ता पद पर उन्होंने नियमित सेवा के 03 वर्ष पूरे कर लिये हों --------8.33 प्रतिशत।
प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त (iv) के विरूद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या अवर अभियन्ताओं व संगणकों में से बाटी जायेगी जो उपरोक्त (ii) एवं (iii) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी।	प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त (iv) के विरूद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या अवर अभियन्ताओं व संगणकों में से बाटी जायेगी जो उपरोक्त (iii) एवं (iv) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी।
परन्तु यदि उपरोक्त (iii) एवं (iv) के विरूद्ध उल्लिखित अर्हता रखने वाला कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो यह पद भी (ii) में उल्लिखित स्रोत से भरे जायेंगे :-	परन्तु यदि उपरोक्त (iii) एवं (iv) के विरूद्ध उल्लिखित अर्हता रखने वाला कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो यह पद भी (ii) में उल्लिखित स्रोत से भरे जायेंगे :-
परन्तु यह और कि यदि कोटा के अनुसार उक्त किसी भी स्रोत से भरे जाने वाली रिक्तियों की संख्या भिन्न में हो तो भिन्न के आधे से कम को छोड़ दिया जायेगा और भिन्न के आधे या उससे अधिक को सामान्यतया सम्पूर्ण एक के रूप में गिना जायेगा।	परन्तु यह और कि यदि कोटा के अनुसार उक्त किसी भी स्रोत से भरे जाने वाली रिक्तियों की संख्या भिन्न में हो तो भिन्न के आधे से कम को छोड़ दिया जायेगा और भिन्न के आधे या उससे अधिक को सामान्यतया सम्पूर्ण एक के रूप में गिना जायेगा।

(स) "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970" के विनियम-5 के अन्तर्गत परिशिष्ट 'ग' के स्तम्भ-1 में उल्लिखित प्राविधानों को स्तम्भ-2 में उल्लिखित प्राविधानों से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

वर्तमान प्राविधान	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियें प्राविधान
स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विनियम-5 के उप-विनियम-1 के खण्ड (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत भर्ती के प्रयोजनार्थ चयन अनुपयुक्त को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर यथा सम्भव प्रत्येक वर्ष निम्न से किया जायेगा :-	विनियम-5 के उप-विनियम-1 के खण्ड (ख) एवं (ग) के अधीन भर्ती के प्रयोजनार्थ चयन, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा।
(I) अवर अभियन्ता सेवा (विद्युत/यांत्रिकी/ इलेक्ट्रानिक्स) के सदस्य जो पद पर स्थायी हो तथा संवर्ग में कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हों, जिसमें से 04 वर्ष की सेवा चयन वर्ग में होना अनिवार्य होगा।	(I)अवर अभियन्ता सेवा (विद्युत/यांत्रिकी/ इलेक्ट्रानिक्स) के सदस्य जो पद पर स्थायी हो, संवर्ग में कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हों, तथा जिन्होंने निगमादेश सं0 88/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम /08/अभियन्ता सेवा दिनांक अक्टूबर 01, 2008 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार अभियांत्रिकी में डिप्लोमा प्राप्त किया हो।
(II) ऐसे संगणकों में से, जो पद पर स्थायी हों तथा जिन्होंने अपनी सेवा के कम से कम 10 वर्ष संगणक/प्रारूपकार के रूप में पूरे कर लिये हों, जिसमें से	(II) ऐसे संगणक जो पद पर स्थायी हों तथा जिन्होंने अपनी सेवा के कम से कम 10 वर्ष संगणक/प्रारूपकार के रूप में पूरे कर लिये हों,

04 वर्ष की सेवा अनिवार्यतः संगणक चयन वर्ग के रूप में की हो तथा निम्न में से कोई अर्हता प्राप्त हो :–	तथा निम्न में से कोई अर्हता प्राप्त हो :–
(अ) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी विधेयक द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविधालय द्वारा प्रदत्त विद्युत/यांत्रिकी अभियन्त्रण में डिप्लोमा या (ब) राज्य की तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त विद्युत/यांत्रिकी अभियन्त्रण में 03 वर्षों का डिप्लोमा।	(अ) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी विधेयक द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविधालय द्वारा प्रदत्त विद्युत/यांत्रिकी अभियन्त्रण में डिप्लोमा या (ब) राज्य की तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त विद्युत/यांत्रिकी अभियन्त्रण में 03 वर्षों का डिप्लोमा।
(III) ऐसे अवर अभियन्ताओं/संगणकों में से पदोन्नति द्वारा जो पद पर स्थायी हों, एवं जिन्होंने बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त कर ली हो तथा उस रूप में उन्होंने अपनी सेवा में 03 वर्ष, भर्ती के वर्ष में प्रथम दिवस को पूरे कर लिये हों जिसकी गणना उनके द्वारा बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 परीक्षा उत्तीर्ण करने के दिनांक से की जायेगी।	विलोपित

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक 37 /उनिलि/रिफार्म/विनियम/2013 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी)/(वित्त)/(कार्मिक)/सलाहकार (तकनीकी), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I)/(स्तर–II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I)/(स्तर–II), पीपीएमएम/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/आर0एण्डएम0/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ को निगम की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
8. कम्पनी सचिव; उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ (निदेशक मण्डल की दिनांक 10.05.2013 को सम्पन्न 155वीं बैठक के एजेण्डा आईटम–18 के सन्दर्भ में)।
9. उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–01/02/03/04/05/प्रशिक्षण/संसदीय कार्य) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. सचिव (विद्युत उत्पादन सेवा आयोग), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. सहायक अभियन्ता (डाटा बेस), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राजीव गोयल)
मुख्य अभियन्ता (कारपोरेट स्ट्रेटजी)